सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 1283/सो.आ.नि.–318(4)/2021
दिनाँक: 12 जनवरी, 2024

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट टीमों का पैनल तैयार किया जाना।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र संख्या–1106/सो.आ.नि.–318(4)/2021 दिनांक 07–12–2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के लिए सोशल आडिट टीमों का पैनल तैयार करने हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न करते हुए विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त पत्र में सोशल आडिट टीमों के आवेदन पत्र जिला विकास अधिकारी कार्यालय में पहुँचने की अन्तिम तिथि 20–01–2024 निर्धारित की गई है। सोशल आडिट टीमों का पैनल तैयार किए जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश प्रेषित किए जा रहे है, इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित हैः–

1– आवेदन पत्र का प्रारूप स्थानीय स्तर पर जिला विकास अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक स्थल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आवेदन पत्र का प्रारूप संगठन की वेबसाइट www.socialauditup.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

2– प्रत्येक विकास खण्ड में 15 ग्राम पंचायतों पर एक **"4 सदस्यीय सोशल आडिट टीम"** का गठन किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी विकास खण्ड में 61–75 के बीच ग्राम पंचायतें हों तो उस विकास खण्ड में 5 टीमों का गठन किया जाना अपेक्षित होगा, किन्तु यदि ग्राम पंचायतों की संख्या 46–60 हो तो 4 टीमों का ही गठन किया जाएगा।

उक्तवत् 15 ग्राम पंचायतों पर एक टीम के गठन के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जॉबकार्डधारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र/पुत्री (04 सदस्यीय टीम में न्यूनतम 01 सदस्य का महिला होना अनिवार्य है) वर्ग से 2–2 सदस्यों को रिजर्व सूची में

रखा जाएगा ताकि गठित टीम में से यदि किसी श्रेणी का कोई सदस्य टीम से हटता है या अनुपस्थित हो जाता है तो रिजर्व सूची में से उसी श्रेणी के सदस्य को लेकर टीम को पूरा किया जा सके। सदस्य के रूप में चयन हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण होगी। उपरोक्तानुसार टीमों का पैनल तैयार किए जाने हेतु विकास खण्डवार वांछित सोशल आडिट टीम सदस्यों की संख्या का विवरण संलग्न है। प्रयास किया जाए कि प्रत्येक टीम में स्वयं सहायता समूह का एक सदस्य अवश्य हो। वैसे एक से अधिक सदस्य भी हो सकते हैं।

3–टीम के पैनल गठन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना:– टीमों के पैनल गठन के संबंध में ग्राम पंचायतों में व्यापक जन सम्पर्क के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि जन–सामान्य में सोशल आडिट के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों से सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु आवेदन प्राप्त हो सकें। ग्राम पंचायतों में स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कार्यों में सक्रिय व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह (S.H.G.) की महिला सदस्यों, भारत निर्माण वालंटियर्स (B.N.V.) में प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवकों तथा जाबकार्डधारक श्रमिक के पात्र पुत्र/पुत्री, जो कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हों, को टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त हों, इस हेतु खण्ड विकास अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

4–समिति:– प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करते हुए टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु उपयुक्तता का निर्धारण निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जाएगा:–

(क)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तरीय अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज/ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर	सदस्य सचिव

पैनल पर रखे जाने हेतु समिति का गठन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाये जिससे ससमय टीमों का पैनल तैयार किया जा सके।

5– चयन प्रक्रिया:– सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु दिनांक 20–01–2024 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में विकास खण्डवार रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा और उनका परीक्षण कर पात्र आवेदकों को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। पैनल तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित अवधि तक पूर्ण कर ली जानी है ताकि टीम के सदस्यों को समय से समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके।

6–टीम के सदस्यों की कार्यावधि:– टीम के सदस्यों का पैनल 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक के लिए मान्य होगा। 31 मार्च, 2026 को इनकी कार्यावधि स्वतः समाप्त हो जाएगी।

7–व्यावसायिक शुल्क :– प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट के सम्यक् रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित दरों पर व्यावसायिक शुल्क का भुगतान अनुमन्य होगा। वर्तमान में यह दर रू0 750/– प्रति सोशल आडिट प्रति सदस्य है।

8–कर्तव्य एवं दायित्व :– निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में योजनाओं के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना, जिसमें निम्नांकित सम्मिलित है :–

(1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों एवं एक निर्धारित समयावधि में किए गए भुगतानों का मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जिनका नाम मस्टरोल में सम्मिलित हो, से सम्पर्क करके सत्यापन करना।

(2) योजनाओं के अर्न्तगत कराए गए समस्त कार्यो का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यो की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।

(3) रोकड़ बही, बैंक विवरण, बिलों, बाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण की शुद्धता का सत्यापन करना।

(4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल बाउचर्स या अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।

(5) योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।

(6) परिसम्पत्तियों (व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यो सहित) की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं परिसम्पत्तियों की उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों की संतुष्टि का आंकलन करना।

(7) निर्धारित प्रारूप पर सभी जॉबकार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरे वाल पेंटिंग में दर्शाए जाने की स्थिति एवं उसमें दिए गए विवरणों का अभिलेखों से मिलान कर टिप्पणी करना।

(8) सोशल आडिट में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए सोशल आडिट ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार करना।

(9) निदेशक सोशल आडिट, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट अन्य योजनाओं के सोशल आडिट सम्बन्धी कार्य।

9– कृपया आवेदन पत्र का प्रारूप जिला तथा ब्लाक स्तर पर नोटिस बोर्डो पर चस्पा कराने तथा उसकी फोटोकापी वांछित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया टीमों के गठन हेतु यथोचित व्यवस्था करने एवं सोशल आडिट टीम का गठन प्रत्येक दशा में माह फरवरी, 2024 तक पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकःयथोपरि</u>

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह) 12/1/24
निदेशक।

<u>प्रतिलिपि</u> :–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0

4– सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक।